हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

पंचम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 38

बुधवार, 21 फरवरी, 2024/2 फाल्गुन, 1945(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्नकाल आरम्भ करने की घोषणा करते ही नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के पेज-38 का हवाला देते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने डॉक्यूमैंट की प्रति भी सभा पटल पर उपस्थापित की।

माननीय मुख्य मंत्री ने वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की 10 गारंटियां और घोषणा-पत्र अलग-अलग दस्तावेज़ हैं इसलिए दोनों चीजों को इकट्ठा न किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर घोषणा पत्र में एक लाख सरकारी नौकरियां देने का ज़िक्र किया गया है तो पांच सालों में इन नौकरियों को प्रदेश के युवाओं को दिया जाएगा।

Ruling by the Speaker

"I will go through the record. Anything which is otherwise or not required and has been pointed out by the Hon'ble Members of the Opposition; I will look into that. Further, whether it is required or not, the action will be taken accordingly. Secondly, in any case if you are alleging that Hon'ble Chief Minister has misled the House, there are different procedures for that and you can resort to those procedures."

माननीय मुख्य मंत्री ने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि पिछले कल जो माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा त्रिलोक जम्वाल जी ने अपने भाषण में इस बारे में चर्चा की है, उसका रिकॉर्ड अवलोकनार्थ निकाल लिया जाए।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 1179(स्थगित) तथा तारांकित प्रश्न संख्याः 1402 पर श्री रणधीर शर्मा (प्राधिकृत) द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्नः 1403 व 1404 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री/मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए।

(माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर से असंतुष्टि व्यक्त करते हुए विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।)

तारांकित प्रश्न संख्याः 1405 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछा गया तथा माननीय मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 1406 से 1442 व 1444 से 1447 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1443 विलोपित किया गया।

(II) **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 407(स्थगित) तथा 602 से 616 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(विपक्ष के माननीय सदस्यों ने नारे लगाते हुए दोपहर 12.00 बजे सदन से बहिर्गमन किया।)

राजस्व मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय राजस्व मंत्री ने बरसात में हुए भारी नुकसान हेतु जो एक योजना स्वीकृत की गई थी, उसमें विधायकों को विधायक क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत अब किसी पटवारी या प्रधान से किसी भी प्रकार का प्रमाणीकरण न लेने की आवश्यकता बारे वक्तव्य दिया।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 23 के साथ पठित धारा 141 की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेशपुलिस विभाग (कांस्टेबल की भर्ती) नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः गृह-ए-बी02/3/2023, दिनांक 29.01.2024 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.01.2024 व 03.02.2024 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 23(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2022-23; और

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम, सोलन का 29वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें, वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(3) **श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री** ने कला संस्कृति भाषा अकादमी के संविधान की धारा-21 के अन्तर्गत हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी, शिमला का वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वर्ष 2022-23 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति** (वर्ष 2023-24) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 70वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 32वें मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा मत्स्य पालन विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 71वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 40वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का 72वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 17वें मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (चिकित्सा शिक्षा) से सम्बन्धित है।

(2) **श्री अजय सोलंकी, सदस्य, मानव विकास समिति** (वर्ष 2023-24) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 15वां प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति का 16वां प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है।

(12.05 बजे अपराह्न श्री राजेन्द्र राणा सभापति पदासीन हुए।)

(12.10 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

5. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान - सामान्य चर्चा

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया –

1. श्री आशीष बुटेल, मुख्य संसदीय सचिव

(12.20 बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

2. श्री अनिल शर्मा
3. श्री रवि ठाकुर

(01.10 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.15 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 2.20 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

चर्चा जारी-

4. श्री बिक्रम सिंह

(02.30 बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

माननीय सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान वरुण बिवरेजिज, बल्क ड्रग पार्क तथा मैडिकल पार्क का ज़िक्र करने पर माननीय मुख्य मंत्री ने अपनी बात रखी।

5. श्री विक्रमादित्य सिह, लोक निर्माण मंत्री
6. श्री राकेश जम्वाल
7. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल
8. श्री हंस राज

(04.36 बजे अपराह्न श्री राजेन्द्र राणा सभापति पदासीन हुए।)

श्री राम कुमार, मुख्य संसदीय सचिव ने **श्री बिक्रम सिंह** द्वारा चर्चा के दौरान व्यक्तिगत तौर पर उनके प्रति कहे गए शब्दों पर आपत्ति व्यक्त करते हुए ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकालने हेतु अध्यक्षपीठ से आग्रह किया।

माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह ने कहा कि माननीय सदस्य ने चर्चा के दौरान स्वयं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है।

(इसी मामले पर माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह और श्री राम कुमार, मुख्य संसदीय सचिव आपस में नोकझोंक करने लगे।)

इसी विषय पर नेता प्रतिपक्ष ने टिप्पणी करते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में उद्योगपति इस बात को लेकर सचमुच में परेशान हैं कि जो वर्तमान में हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं होता था और यही कारण है कि उद्योग यहां से पलायन कर रहे हैं।

माननीय मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए टिप्पणी की कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और इसीलिए ओपन पॉलिसी लाना चाहते हैं ताकि प्रदेश में ज्यादा-से-ज्यादा इंडस्ट्रीज आएं। उन्होंने अध्यक्षपीठ से आग्रह किया कि यदि किसी माननीय सदस्य या उनके परिवार के सदस्य पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाए जाते हैं तो ऐसे शब्द कार्यवाही से निकलने चाहिए क्योंकि बिना किसी तथ्यों के किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है।

Ruling by the Speaker

"मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध रहेगा कि हम एक-दूसरे के विरोधी तो हैं लेकिन शत्रु नहीं हैं इसलिए while making speeches or raising any point, one should refrain himself from making personal allegations. If you have a record or any documentary proof, then place it on the table of the

House before making such acquisitions or allegations. It has come to the notice from both the sides that some personal allegations have been levelled against the Hon'ble Members, I will peruse the record and, if so, the same will be removed from the record."

9. श्री नन्द लाल

(04.53 बजे अपराह्न श्री राजेन्द्र राणा सभापति पदासीन हुए।)

(05.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक का समय 07.00 बजे सायं तक बढ़ाया गया।)

10. श्री प्रकाश राणा
11. श्री दविन्द्र कुमार (भुट्टो)
12. श्री जीत राम कटवाल

(06.05 बजे सायं उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

13. श्री अजय सोलंकी
14. श्रीमती रीना कश्यप
15. श्री मलेन्द्र राजन
16. श्री रणवीर सिंह (निक्का)

(07.00 बजे सायं सदन की बैठक का समय 07.30 बजे सायं तक बढ़ाया गया।)

17. श्री नीरज नैय्यर

07.30 बजे सायं सदन की बैठक वीरवार, 22 फरवरी, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।